"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 मई 2018 — वैशाख 18, शक 1940

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-12/2017/सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, सूरजपुर एवं सरगुजा जिले की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित करती है, इनकी पुनर्परिभाषित सीमाए नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	वर्तमान जिला (2)	परिवर्तन का स्वरूप (3)	सीमायें (4)
1.	सूरजपुर	जिला सूरजपुर के तहसील सूरजपुर की सीमाओं से ग्राम पंचायत अजीरिमा तथा आश्रित ग्राम (भगवानपुर खुर्द, बिशुनपुर एवं ठाकुरपुर) को अपवर्जित करते हुए तथा उसे जिला सरगुजा के तहसील अंबिकापुर के राजस्व निरीक्षक मण्डल-अंबिकापुर-2 की सीमाओं में सम्मिलित करते हुए, जिला सूरजपुर के तहसील सुरजपुर के साथ-साथ के जिला सरगुजा (अम्बिकापुर) की सीमाओं का परिवर्तन.	जिला सूरजपुर के तहसील सूरजपुर के रा. नि. म.-सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत अजीरिमा तथा आश्रित ग्राम (भगवानपुर खुर्द, बिशुनपुर एवं ठाकुरपुर) की वर्तमान सीमाएं, वर्तमान जिला सरगुजा के तहसील अम्बिकापुर के रा. नि. म. अंबिकापुर-2 में सम्मिलित किये जाते हैं.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सरगुजा (अंबिकापुर)	जिला सरगुजा के तहसील लखनपुर की सीमाओं से ग्राम पंचायत गेतरा (स्वतंत्र ग्राम पंचायत) को अपवर्जित करते हुए तथा उसे जिला सरगुजा के राजस्व निरीक्षक मण्डल (रा. नि. म.) सूरजपुर की सीमाओं में सम्मिलित करते हुए, जिला सरगुजा (अम्बिकापुर) के तहसील लखनपुर के साथ-साथ जिला सूरजपुर की सीमाओं का परिवर्तन.	जिला सरगुजा के तहसील लखनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गेतरा (स्वतंत्र ग्राम पंचायत) की वर्तमान सीमाएं, वर्तमान जिला सूरजपुर के तहसील सूरजपुर के रा. नि. म. सूरजपुर में एतद्द्वारा सम्मिलित किये जाते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th May 2018

NOTIFICATION

No. F 11-12/2017/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), Notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said code, the State Government proposes to alter the limits of Surajpur and Sarguja District. The redefined limits thereof have been specified in the Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Act, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Present District (2)	Nature of Change (3)	Limits (4)
1.	District Surajpur	Alteration of limits of Tehsil Surajpur of Surajpur as well as District Surguja (Ambikapur) by Excluding the Gram Panchayat Aajirima and dependent Villages (Bhagwanpur Khurd, Bishanpur and Thakurpur) from the limits of Tehsil Surajpur of District Surajpur and including it in the limits of Revenue Inspector Mandal-Ambikapur- 2, Tehsil-Ambikapur of District Surguja.	Present limits of Gram Panchayat Aajirima and dependent Villages (Bhagwanpur Khurd, Bishanpur and Thakurpur) under R. N. M. - Surajpur, Tehsil Surajpur of District Surajpur are included in R. N. M. Ambikapur-2 of Tehsil Ambikapur of persent District Surguja.
2.	Sarguja (Ambikapur)	Alteration of limits of Tehsil Lakhanpur of District Sarguja (Ambikapur) as well as District Surajpur by excluding the Gram Panchayat Geyatra (Independent Gram Panchayat) from the limits of Tehsil Lakhanpur of District Sarguja and including it in the limits of Revenue Inspector Mandal R. N. M. Surajpur of District Sarguja.	Present limits of Gram Panchayat Geyatra (Independent Gram Panchayat) under Tehsil Lakhanpur, District Sarguja are hereby included in R. N. M. Surajpur, Tehsil Surajpur of present District Surajpur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.